

बिहार सरकार,
कृषि विभाग


अधिसूचना

1711 पटना, दिनांक 21 /03/2018

संख्या-09/उपा0 कीट (विविध)-15/2017.....कीटनाशी संशोधन नियम 2015 एवं 2016 के आलोक में कीटनाशी विनिर्माता/विक्रेता की अनुज्ञप्ति स्थायी होगी जो प्रिंसिपल सर्टिफिकेट में अंकित वैधता तिथि के अनुसार होगी। कीटनाशी विनिर्माता के लिए प्रति कीटनाशी इन्डोर्समेन्ट शुल्क 2000/-रु, अधिकतम 20,000/-रु एवं कीटनाशी के विपणन/भंडारण/प्रदर्शन के लिए इन्डोर्समेन्ट शुल्क प्रति कीटनाशी 500 रु का अधिकतम राशि 7500 रु जमा करना होगा।

प्रस्ताव में माननीय मंत्री, कृषि का अनुमोदन प्राप्त है।


बिहार राज्यपाल के आदेश से।


(बिरेन्द्र कुमार सिंह)

सरकार के अवर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।


ज्ञापांक :- सं०-09/उपा0 कीट (विविध)-15/17 1711 /कृ0, पटना, दिनांक, 21 /03/2018

प्रतिलिपि:- संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (शष्प) उपादान, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्प)/सभी उप निदेशक (पौधा संरक्षण)/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/ सभी सहायक निदेशक (पौधा संरक्षण) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।


ज्ञापांक :- सं०-09/उपा0 कीट (विविध)-15/17 1711 /कृ0, पटना, दिनांक, 21 /03/2018

प्रतिलिपि:- सभी कीटनाशी विनिर्माता एवं विपणन कर्ता को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- सं०-09/उपा0 कीट (विविध)-15/17 1711 /कृ0, पटना, दिनांक, 21 /03/2018

प्रतिलिपि:- आई0 टी0 मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।